माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1078 / 07 / प्रशा0 / MSU / 2023–24 दिनांकः 10.09.2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय –सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक : 30.08.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–1039 / 07 / प्रशा0 / MSU / 2023–24, दिनांक : 01.09.2023 एवं 1055 / 07 / प्रशा0 / MSU / 2023–24, दिनांकः 05.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या– 2474 / सत्तर–3–2023, दिनांक : 30.08.2023 एवं 2467 / सत्तर–3–2023, दिनांक : 04 सितम्बर, 2023 के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक : 30.08.2023 को सम्पन्न बैठक के अनुपालन में दिये गये निर्देशानुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में शत–प्रतिशत कैमरे लगाये जाने के निर्देश दिये गये है। किन्तु (**संलग्न महाविद्यालयों की सूची को छोड़कर**) महाविद्यालयों द्वारा अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है।

अतः संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्या–2561 / सत्तर–3–2023, दिनांक : 11 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित बिन्दुओं 1.16 के आलोक में निम्नलिखित गूगल लिंक पर आज ही सूचनाऐं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी जा सके।

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRuh4UaNoVPlLyH3_ls3vUA5Yx8_dIp2Dv-6oRiuqTf9a65g/viewform

भवदीय

ह0 / –

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
02. अपर परिषद, उच्च शिक्षा, लखनऊ।
03. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज।
04. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव

Sr. No	College Name
1	101-GOCHAR MAHAVIDALAYA, RAMPUR MANIHARAN (SAHARANPUR), MOB.NO.9411648627, 01336-252229
2	102-J.V.JAIN COLLEGE, SAHARANPUR, MOB.NO.9412323913, 0132-2760139
3	103-MAHARAJ SINGH COLLEGE, SAHARANPUR, MOB.NO.9837636068, 0132-2664178
4	104-MUNNA LAL JAI NARAYAN KHEMKHA GIRLS COLLEGE, SAHARANPUR, MOB.NO.9412231163, 0132-2658187
5	105-GOVERNMENT COLLEGE, DEOBAND (SAHARANPUR), MOB. NO.9759217049
6	106-GOVERNMENT MAHAVIDYALAYA, NANAUTA (SAHARANPUR), MOB. NO.9452248624
7	108-GOVERNMENT MAHILA MAHAVIDYALAYA, KOTA (SAHARANPUR), MOB. NO.9319635630
8	115-B.R. COLLEGE OF HIGHER EDUCATION & TECHNOLOGY, DEOBAND, SAHARANPUR
9	119-BHAGWATI SHER SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE , JANDHERI, SAHARANPUR
10	120-BHAILA DEGREE COLLEGE, BHAILA, SAHARANPUR
11	121-BRIGHT FUTURE GIRLS COLLEGE, SAHARANPUR
12	127-CH. NEPAL SINGH MAHAVIDYALAYA, DURGCHARA, SAHARANPUR
13	135-DEV BHOOMI SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES, DABKI ROAD, VILLAGE-BERI JAMA (JUST 7 KMS FROM CL
14	144-DOONHILS INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, SAHARANPUR
15	146-DWARIKADHEESH RESEARCH EDUCATION & MGMT SCHOOL, JANTA ROAD, SAHARANPUR
16	151-HARI COLLEGE OF MANAGEMENT, 10 KM. DEHRADUN ROAD, GAGALHERI, SAHARANPUR , PH. 0132-2785544,
17	152-HARI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, RANDEVI, SHARANPUR
18	157-I.P.S., GANGOH, SAHARANPUR
19	158-ILAM CHAND SAINI COLLEGE FOR GIRLS, SARSAWA SAHARANPUR
20	161-ISLAMIA COLLEGE OF LAW, DEOBAND, SAHARANPUR
21	162-ISLAMIA DEGEE COLLEGE, DEOBAND, SAHARANPUR
22	165-JANTA MAHAVIDYALAY, AMBHETA CHAND, SAHARANPUR
23	166-K.S. DEGREE COLLEGE, EESAPUR, GANGOH, NAKUR, SAHARANPUR
24	167-KANHA COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, SHERPUR, KHANAJADAPUR, SAHARANPUR
25	171-KRISHNA INSTITUTE OF EDUCATION & MANAGEMENT, KHANPUR GURJUR, SAHARANPUR ROAD, GANGOH, SAHARA
26	174-MAHANTH JAGANNATH DASS MAHAVIDYALAYA, BIJANAKHERI, BANDUKHERI, FANADPURI, SAHARANPUR
27	175-MAHARANA PRATAP MEMORIAL DEGREE COLLEGE, SHIMLANA, SAHARANPUR
28	176-MAHARISI DAYANAND COLLEGE OF EDUCATION FOR GIRLS, BADOLI, HRORA, SAHARANPUR
29	179-THE MRINALINI COLLEGE, HARORA, SAHARANPUR
30	183-POORANMAL RAMLAL DEGREE COLLEGE, GANGOH, SAHARANPUR
31	184-RADHA KRISHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, TALHERI BUZURG, , DEOBAND, SAHARANPUR
32	186-RAJEEV MEMORIAL INSTITUTE OF EUDCATION & TECHNOLOGY, BHARDWAJ FARM HOUSE, GANGOH, SAHARANPUR
33	193-SATGURU INSTITUTE OF EDUCATION & TECHNOLOGY, SAROORPUR TAGA, TOWAR ROAD, SAHARANPUR
34	195-SHAHID UDHAM SINGH MAHAVIDYALYA, KHIZARPUR CHAK MUSTAFAPUR, POST-BEHAT, DISTT-SAHARANPUR
35	196-SHAKUMBARI COLLEGE VILLAGE-MEERPUR, SAHARANPUR 132-2781717, 9760262465
36	197-SHIVALIK INSTITUTE OF EDUCATION, A-87, VIVEK NAGAR, DELHI ROAD, SAHARANPUR, PH. 0
37	198-SHIVALIK INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, SAHARANPUR
38	205-SOMDUTT SHARMA DEGREE COLLEGE, TALHERI BUZURG, , DEOBAND, SAHARANPUR
39	207-SWAMI KALYAN DEV VISHKARMA MAHILA DEGREE COLLEGE, NEAR-MANANI RAILWANY CROSSING, DELHI ROAD,
40	209-T.G.T. COLLEGE OF EDUCATION, AMBETAPEER, SAHARANPUR
41	216-VIDYA DEVI KANYA MAHAVIDYALAY, JANDHERA, SAMASPUR , SAHARANPUR
42	218-VIDYADEEP DEGREE COLLEGE, VILASPUR, SHEKHUPUR SAHARANPUR, MOB. 9758834600, 9761886632
43	220-VISHWAMITRA DEGREE COLLEGE SAHARANPUR
44	222-SARDAR SINGH COLLEGE OF EDUCATION SORANA SARSAWA SAHARANPUR UP
45	501-R.K. (P.G.) COLLEGE, SHAMALI (PRABUDH NAGAR) MOB.NO.01398-253197, 250143
46	503-GOVERNMENT GIRLS DEGREE COLLEGE, KANDHALA (PRABUDH NAGAR), MOB. NO.9897933840

47	504-VIJAY SINGH PATHIK GOVERNMENT MAHAVIDYALAYA, KAIRANA (PRABUDH NAGAR), MOB. NO.9415192827
48	507-CH. ATAR SINGH DEGREE COLLEGE, THANABHAWAN, (PRABUDH NAGAR)
49	513-HINDU MAHILA MAHAVIDYALAYA, SHAMALI, (PRABUDH NAGAR), MOB.NO. 01398-259214,257436
50	519-KARAMBHUMI COLLEGE, BAMNOLI (UNCHA GAON) SHAMLI
51	522-OM SHRI GURU SHAKSHI RAMCHANDER INSTITUTE, NH-70, DELHI-SAHARANPUR ROAD, JASALA, SHAMLI, PH. 0121-2662474, 9412611999
52	523-R.K. GIRLS DEGREE COLLEGE, VPO- GARHI ABDULLA KHAN, TEHSIL-UNN, SHAMLI
53	525-SHRI R.K. DEGREE COLLEGE, IRSHOPURTEEL KAIRANA, SHAMLI
54	526-SILVER BELLS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION, PANIPAT ROAD, SHAMALI (PRABUDH NAGAR)
55	701-C.C.R.D. COLLEGE, MUZAFFARNAGAR, MOB.NO.9412637436, 0131-2621744
56	703-JAIN KANYA PATHSHALA DEGREE COLLEGE, MUZAFFARNAGAR, MOB.NO.9897257050, 0131-2432111
57	710-BRAHAM MUNI JADISH CHAND KANYA MAHAVIDYALA, RATANPURI, MUZAFFARNAGAR
58	715-D.A.V. DEGREE COLLEGE, JANSATH, MUZAFFARNAGAR, MOB.NO. 9411030854,9897167929
59	719-HARBIRI DEVI BHOPAL SINGH DEGREE COLLEGE, YUSUFPUR, BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR
60	722-K.P.S. GIRLS COLLEGE OF EDUCATION, ALIPURKALA, MUZAFFARNAGAR
61	724-M.S.S.K.D. DEGREE COLLEGE,MORANA, MUZAFFARNAGAR, MOB.NO. 01396-222490 9719287837
62	725-MAHARAJA AGRASEN GIRLS DEGREE COLLEGE, CHARATHAWAL, MUZAFFARNAGAR
63	727-NAWAB AZMAT ALI KHAN GIRLS COLLEGE, MUZAFFARNAGAR, MOB.NO. 9219930701, 9837338063
64	728-PRAHLAD SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, KHAUTLI, MUZAFFARNAGAR
65	729-ROYAL COLLEGE OF EDUCATION & HIGHER STUDIES, JAULA, MUZAFFARNAGAR
66	730-S.D. COLLEGE OF COMMERCE, MUZAFFARANAGAR
67	731-S.D. COLLEGE OF LAW, S.D. COLLEGE CAMPUS, BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR, PH. NO :- 407395, 408080
68	734-S.M. DEGREE COLLEGE, PURKAJI, MUZAFFARNAGAR
69	736-SHAHAB SINGH DEGREE COLLEGE, NAGAL KHEYPAD, MUZAFFARNAGAR
70	740-SHRI KRISHNA GIRLS COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, SISOLI, MUZAFFARNAGAR
71	742-SHRI RAM COLLEGE, OPP. ALMASPUR TELEPHONE EXCHANGE, PARIKRAMA MARG, MUZAFFARNAGAR, PH. NO. :- 0131-3091565, 0131-2402133, 2620565
72	745-SMT. BHAGWATI DEVI KANYA MAHAVIDYALA, BHORA KALAN, MUZAFFARNAGAR
73	747-SWAMI KALYAN DEV DEGREE COLLEGE ,BHOPA, MUZAFFARNAGAR, MOB.NO. 9837294636 9927010672
74	748-SWAMI KALYAN DEV DEGREE COLLEGE, BAGHRA, MUZAFFARNAGAR, PH.NO. 0131-2486543, 9412665501
75	753-TARA CHAND VEDIC PUTRI DEGREE COLLEGE, NAI MANDI, MUZAFFARNAGAR (ONLY FOR GIRLS)
76	755-TRIDEV COLLEGE OF EDUCATION (ONLY FOR GIRLS), MUSTAFABAD, MUZAFFARNAGAR
77	757-VIDYOTTAMA KANYA MAHAVIDYALAYA, GANGDHARI, KHATAULI, (MUZAFFARNAGAR), MOB. NO. 01396-273592,9927018511

समयबद्ध / दिनांक 12.09.2023 तक
संख्या–2561/सत्तर–3–2023

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उ0प्र0।

4. **अपर सचिव,**
उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2023**

विषयः प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं गौतमबुद्धनगर में सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 30.08. 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15 के पत्र संख्या–1105/6–पु–15/2023, दिनांक 05.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 05.09.2023 के बिन्दु संख्या–1.16 में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के कम में शैक्षणिक संस्थानों (समस्त सरकारी एवं प्राइवेट कालेजों/विश्वविद्यालयों) के क्लासरूम, कॉरिडोर, प्रवेश एवं निकास द्वार तथा मुख्य मार्ग की तरफ सी.सी.टी.वी. कैमरों के अधिष्ठापन करने एवं उसकी सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है:–

जनपद का नाम			विभाग का नाम				
क्र0	शैक्षणिक संस्था का नाम	सरकारी / प्राइवेट	अधिष्ठापित कैमरों की संख्या				
			क्लासरूम	कॉरिडोर	प्रवेश द्वारा	निकास द्वार	योग
1.							

3– अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या–2437/सत्तर–3–2023, दिनांक 28.09.2023 एवं पत्र संख्या–2474/सत्तर–3–2023, दिनांक 30.09.2023 द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने तथा उसकी अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

4– इस सम्बन्ध में सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15 के पत्र संख्या–1105/6–पु–15/2023, दिनांक 05.09.2023 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इसकी **अनुपालन आख्या निदेशालय के माध्यम से शासन को दिनांक 12.09.2023 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 2561 / स्तर-3-20 No.6-15099/94/2023- () -15-
I/381473/2023

प्रमुख सचिव कार्यालय में प्राप्त दिनांक 06/09/2023

संख्या 1931 /VIPPSHED/2023

<u>सेफ सिटी परियोजना के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांकः **30.08.2023** को आहूत प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः-</u>

प्रदेश के 17 नगर निगमों व जनपद- गौतमबुद्धनगर में सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा नगर विकास विभाग के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया । तदोपरांत अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 द्वारा अन्य विभागों की प्रगति प्रस्तुत की गयी, जिस पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा विभाग की स्थिति रखी गयी । प्रस्तुतीकरण पर सम्यक चर्चा के उपरांत मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये-

1.1 सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नगर विकास विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये-

1.1.1 नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पुलिस विभाग द्वारा पुलिस/पब्लिक द्वारा लगाये गये 18,924 कैमरों को स्मार्ट सिटी लि0 के आई0सी0सी0सी0/ आई0टी0एम0एस0 के साथ इन्टीग्रेट किये जाने हेतु चिन्हित किया गया है । 18,924 कैमरों में से लगभग 11000 कैमरे केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित 10 नगर निगमों के स्मार्ट सिटी के आई0सी0सी0सी0 से तथा लगभग 7000 कैमरे राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित 07 नगर निगमों के स्मार्ट सिटी के आई0टी0एम0एस0 से इण्टीग्रेट किये जाने हैं, अब तक 4,499 सीसीटीवी कैमरे इण्टीग्रेट कर लिये गये हैं । पुलिस द्वारा संसूचित 18,924 कैमरों के अतिरिक्त लगभग 6700 कैमरे नगर निगमों में संचालित स्मार्ट सिटी के आई0सी0सी0सी0/आई0टी0एम0एस0 के साथ पहले से ही इन्टीग्रेट हैं । केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित 10 नगर निगमों के स्मार्ट सिटी के आई0सी0सी0सी0 से अपेक्षित कैमरों का इण्टीग्रेशन शीघ्रता से किया जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित 07 नगर निगमों के स्मार्ट सिटी के आई0टी0एम0एस0 से कैमरों को इण्टीग्रेट करने के लिए कतिपय तकनीकी उपाय किये जाने हैं, जिसमें थोड़ा समय लगेगा । निर्देशित किया गया कि इण्टीग्रेशन की कार्यवाही की प्रगति निम्न प्रारूप में गृह विभाग तथा डब्लू0सी0एस0ओ0 मुख्यालय को 02 दिवस में उपलब्ध कराया जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम का प्रकार ICCC/ITMS	इण्टीग्रेशन हेतु पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित कैमरों की संख्या	नगर विकास विभाग द्वारा कॉलम-4 के सापेक्ष इण्टीग्रेट किये गये कैमरों की संख्या	स्मार्ट सिटी के कण्ट्रोलरूम में पुलिस विभाग द्वारा संसूचित कैमरों के अतिरिक्त इण्टीग्रेटेड कैमरों की संख्या	स्मार्ट सिटी के कण्ट्रोलरूम में इण्टीग्रेटेड कुल कैमरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)

1.1.2 07 नगर निगम जहाँ आई0टी0एम0एस0 हैं, उन्हें सेफ सिटी की अवधारणा के अनुरूप अपग्रेड करते हुए कैमरों का इण्टीग्रेशन किया जाये, ताकि यहाँ से भी अपराध सम्बन्धी अलर्ट प्राप्त किये जा

विशेष सचिव (G1) / उ0स0 (NS3)
08/09/2023
(एम0 पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन
4529/US(I)/23
J.S.

08-9-23
(गिरीश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

HE-3

08-9-23
(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन।

8
8.9.2023

सके ।

1.1.3 जनपद गौतमबुद्धनगर में सीसीटीवी इण्टीग्रेशन की कार्यवाही प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास के माध्यम से की जा रही है । अवगत कराया गया कि नोएडा शहर में 2000 कैमरों में से 1200 का इण्टीग्रेशन कर लिया गया है । यह निर्देश दिये गए कि शेष कैमरों का इन्टीग्रेशन समयबद्ध तरीके से शीघ्र पूर्ण किया जाए ।

1.1.4 भारत सरकार गाइडलाइन के अनुसार नगरों में कामकाजी महिलाओं को ड्यूटी हेतु सुरक्षित पिक-ड्राप की व्यवस्था सम्बन्धित संस्थान/फर्म/कम्पनी द्वारा किया जाना चाहिए । निर्देशित किया गया कि नोएडा जैसे इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में ऐसी कामकाजी महिलाओं की संख्या ज्ञात करते हुए उनके ड्यूटी हेतु सुरक्षित पिक-ड्राप की व्यवस्था बनाये जाने हेतु गंभीरता से विचारण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करायी जाए । इस नगर में डार्कस्पाट्स भी चिन्हित करते हुए वहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाए । इस सम्बन्ध में भी तालिका में संख्यात्मक डेटा उपलब्ध कराया जाए ।

1.1.5 मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांकः 25.08.2023 को की गयी समीक्षा बैठक में विकास प्राधिकरणों को भी महिला सुरक्षा के दृष्टिगत बहुमंजिली आवासीय इमारतें/संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि इन कैमरों को भी नगर के सम्बन्धित आई0सी0सी0सी0/आई0टी0एम0एस0 कण्ट्रोल रूम्स से इण्टीग्रेट किया जा सके । अतएव, प्रथम चरण के सम्बन्धित 18 नगरों के विकास प्राधिकरणों द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने हेतु बहुमंजिली आवासीय इमारतें/संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुए निम्न प्रारूप में सूचना नगर विकास विभाग एवं गृह विभाग को उपलब्ध कराया जाए-

जनपद का नामः													
क्र0	स्थान का नाम (अक्षांश व देशान्त सहित)			चौराहा/तिराहा/दोराहा/अन्य	सम्बन्धित पुलिस थाना/चौकी/बीट का नाम		लगाये जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की संख्या			प्राधिकरण द्वारा अधिष्ठापित कराए गए कैमरों की संख्या			
	नाम	Latitude	Longitude		थाना	चौकी	FIXED	PTZ	TOTAL	FIXED	PTZ	TOTAL	
1.													

1.1.6 मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांकः 25.08.2023 को की गयी समीक्षा बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, नगर निगम, अल्पसंख्यक विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि के माध्यम से संचालित समस्त सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों, कालेजों, मदरसों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों के क्लास रूम्स, कॉरीडोर, प्रवेश एवं निकास द्वार तथा मुख्य मार्ग की तरफ सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन अनिवार्य किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । अतएव, प्रथम चरण के सम्बन्धित 18 नगरों के शैक्षणिक संस्थानों में कैमरे अधिष्ठापन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा निम्न

प्रारूप में सूचना नगर विकास विभाग एवं गृह विभाग को उपलब्ध कराया जाए-

जनपद का नामः			विभाग का नामः				
क्र0	शैक्षणिक संस्था का नाम	सरकारी/प्राइवेट	अधिष्ठापित कैमरों की संख्या				
			क्लासरूम	कॉरीडोर	प्रवेश द्वार	निकास द्वार	योग
1.							

1.1.7 अंधेरे स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग द्वारा कुल 2098 डार्क-स्पाट्स चिन्हित कर लिये गये हैं । नगर विकास विभाग द्वारा इन स्थानों पर स्ट्रीट-लाईट लगवाते हुए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का कार्य किया जाना है । नगर विकास विभाग द्वारा स्ट्रीट लाइट्स लगाये जाने के कार्य की प्रगति निम्न प्रारूप में गृह विभाग तथा डब्लू0 सी0 एस 0 ओ 0 मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित डार्क-स्पॉट्स की संख्या	नगर विकास विभाग द्वारा कॉलम-3 के सापेक्ष स्थापित कराये गये स्ट्रीट लाइट्स की संख्या	अवशेष कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5
1				

1.1.8 नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि टायलेट्स की आवश्यकता नगर निगमों से माँगी गयी है । विवरण प्राप्त होने पर कार्ययोजना तैयार करते हुए अग्रतर कार्यवाही की जाएगी । निर्देशित किया गया कि प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में बनवाए जाने वाले टायलेट्स के कार्य की प्रगति निम्न प्रारूप में गृह विभाग तथा डब्लू0 सी0 एस 0 ओ 0 मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	चिन्हित टायलेट्स की संख्या	नगर विकास विभाग द्वारा कॉलम-3 के सापेक्ष निर्मित कराये गये टायलेट्स की संख्या	अवशेष कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5
1				

1.1.9 नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सेफ सिटी 'ऐप' को विकसित कर लिया गया है । दिनांकः 25.08.2023 की समीक्षा बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में इसमें कतिपय सुविधाएं बढ़ायी जा रही हैं, जिसके पूर्ण होने पर इसका सजीव प्रदर्शन कराया जाएगा ।

1.1.10 नये कैमरे लगाये जाने हेतु कुल 4150 संवेदनशील स्थानों की पहचान पुलिस विभाग द्वारा की गयी है । इन स्थानों पर आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन कराते हुए उनके फीड स्मार्ट सिटी कण्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर विकास/गृह विभाग को निर्देशित किया गया । इस कार्य की प्रगति निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी-

क्र0	नगर निगम का नाम	पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों की संख्या	नगर विकास/गृह विभाग द्वारा कॉलम-3 के सापेक्ष स्थापित कराये गये सीसीटीवी कैमरों की संख्या	अवशेष कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5
1				

1.1.11 प्राइवेट आवासीय सोसाइटियों व रेजीडेन्ट वेलफेयर एशोसियेशन्स (आर0 डब्लू0 ए0) द्वारा आवासीय परिसरों में सुरक्षा के दृष्टिगत कैमरे लगवाये जाते हैं । इन कैमरों को भी स्मार्ट सिटी के कण्ट्रोल रूम्स से इण्टीग्रेट किये जाने की अपेक्षा की गयी ।

1.1.12 किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अपने सीसीटीवी कैमरों की फीड कण्ट्रोलरूम से इण्टीग्रेट नहीं कराये जाने की दशा में भी उन कैमरों के अधिष्ठापन स्थल की जानकारी (Lat.-Long), व्यक्ति का नाम-पता-मोबाइल नम्बर आदि की सूचना नगर विकास के आई0सी0सी0सी0/ आई0टी0एम0एस0 कण्ट्रोल रूम्स एवं जनपद के पुलिस कमिश्नर/पुलिस अधीक्षक के पास रिकार्ड में होना चाहिए । ऐसे व्यक्तियों को निर्देशित किया जाए कि वे अपने सीसीटीवी कैमरों का फीड आवश्यकता पड़ने पर केवल पुलिस-प्रशासन को उपलब्ध करायेगें तथा यह फीड किसी भी दशा में किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा । इस योजना से आमजन को प्राप्त होने वाली सुरक्षा के बावत सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए । सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़े जा रहे अपराधियों के प्रकरणों को प्रचारित-प्रसारित कराया जाए, ताकि आमजन सीसीटीवी कैमरों से होने वाले लाभ व अपराध नियन्त्रण में इसकी भूमिका को अच्छे से समझ सकें । एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाये, जिसमें आमजन स्वतः अपने कैमरों के फीड को पुलिस-प्रशासन से साझा किये जाने के लिए प्रेरित हों ।

1.1.13 नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बुजुर्गों के लिए ''डे-केयर सेन्टर'' की योजना पर कार्य किया जा रहा है । अक्टूबर-2023 तक इसे लांच कर दिया जाएगा । इस कार्य की प्रगति निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी-

क्र0	नगर निगम का नाम	''डे-केयर सेन्टर'' के संचालन की स्थिति			अवशेष (कॉलम-6 एवं 6) ''डे-केयर सेन्टर'' के संचालित होने की सम्भावित तिथि
		संचालित है	निर्माणाधीन	अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।	
1	2	3	4	5	6
1					

1.1.14 सेफ सिटी ''लोगो'' के कई आप्शन तैयार किये गये हैं, जिनको बैठक में प्रदर्शित किया गया । इन सैम्पल्स में से सबसे प्रभावी को चिन्हित किया गया तथा इसे अनुमोदित कराने हेतु नगर विकास विभाग को निर्देश दिये गए ।

1.1.15 नगर विकास विभाग द्वारा क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त किये गये विकल्पों में से

''स्लोगन'' बनाये जाने हेतु 05 विकल्प बैठक में प्रस्तुत किये गये, जिनमें से एक (सुरक्षित शहर हर प्रहर) का चयन करते हुए इस पर अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गए ।

1.1.16 गत बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि नगर के प्रवेश द्वार पर ''सेफ सिटी नगर'' का आभास कराने वाले बोर्ड लगवाए जाएं, जो आम लोगों को सहज दृश्य हों । नगर विकास विभाग इस हेतु सूचना विभाग को कन्टेन्ट उपलब्ध करा दे । इस कार्य की प्रगति निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया-

क्र0	नगर निगम का नाम	बोर्ड लगवाये जाने हेतु चिन्हित/प्रस्तावित स्थानों की संख्या	सूचना विभाग द्वारा कॉलम-3 के सापेक्ष स्थापित कराये गये बोर्डों की संख्या	अवशेष कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5
1				

(कार्यवाही- नगर विकास / औद्योगिक विकास / आवास-विकास / माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा / अल्पसंख्यक कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग)

1.2 सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु **परिवहन विभाग** द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गए-

1.2.1 संचरण के दौरान सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु सिटी बसों, ओला एवं ऊबर आदि में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन की व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली मॉडल का अध्ययन करते हुए की जानी है । परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिल्ली मॉडल का अध्ययन कर लिया गया है । यह बात भी संज्ञान में लायी गयी कि बसों में लगे पैनिक बटन का इस्तेमाल अपरिहार्य संकटकालीन परिस्थिति के अलावा भी बहुतायत किया जा रहा है । पुलिस द्वारा ऐसे संकेत प्राप्त होने पर मौके पर जा कर पड़ताल करने पर कार्यवाही योग्य संकेत 01 प्रतिशत से भी कम पाया गया है ।

1.2.2 मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गए कि पैनिक बटन के सही उपयोग के सम्बन्ध में बस यात्रियों को यात्रा प्रारम्भ होते समय ठीक से समझा दिया जाए, ताकि इसका प्रयोग वास्तविक आपातकालीन परिस्थिति में ही किया जाए । पैनिक बटन के सही उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में बसों में अन्दर व बाहर निर्देश अंकित किये जाएं तथा इनका गलत उपयोग करने वाले यात्रियों पर जुर्माना/चेतावनी सम्बन्धी कार्यवाही पर भी विचार किया जाए ।

1.2.3 सिटी बसों, ओला एवं ऊबर आदि में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन की व्यवस्था किये जाने की कार्यवाही की प्रगति निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराये जाने हेतु परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया-

क्र0	नगर निगम का नाम	वाहन की संख्या जिनमें कैमरे व पैनिक बटन लगने हैं		कॉलम-4 के सापेक्ष कितने वाहनों में कैमरे व पैनिक बटन लग गये हैं	अवशेष कार्य कब तक पूर्ण होना सम्भावित है।
		कैटेगरी	संख्या		
1.		नगर बसें			
		ओला			
		ऊबर			
		अन्य			

(कार्यवाही -- परिवहन विभाग)

1.3 सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु **महिला एवं बाल विकास विभाग** द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गए-

1.3.1 सेफ सिटी पोर्टल विकसित करते हुए इसके साथ विभिन्न विभागों को जोड़े जाने की योजना के सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सेफ सिटी पोर्टल को यूपीडेस्को के माध्यम से विकसित कर लिया गया है । इसमें विभिन्न विभागों यथा- समाजकल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को लिंक किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है, जिसे 01 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा ।

1.3.2 महिला एवं बाल विकास विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि माह में एक बार उपमण्डलीय स्तर पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजन के लिए विशेष दिवस का आयोजन किये जाने सम्बन्धी योजना के क्रियान्वयन के लिए एक शासनादेश जारी हो गया है ।

1.3.3 जिलाधिकारी/पुलिस कमिश्नर/पुलिस अधीक्षकों द्वारा जनपदों में सफल महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजन की पहचान करते हुए उन्हें रोल मॉडल के रूप में दिखाये जाने सम्बन्धी योजना की मासिक समीक्षा की जानी है । अतः, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मासिक समीक्षा करते हुए प्रगति निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायी जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह	रोल माडल के रूप में चिन्हित किये गये व्यक्तियों की संख्या			
			महिला	बुजुर्ग	बच्चे	दिव्यांगजन
1.						

1.3.4 जिलाधिकारी/पुलिस कमिश्नर/पुलिस अधीक्षकों द्वारा शिकायतो का अनुश्रवण एवं समाधान किया जाने की योजना की मासिक समीक्षा की जानी है । अतः, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मासिक समीक्षा करते हुए कार्य की प्रगति निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायी जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह	शिकायतों के समाधन किये जाने का विवरण							
			महिला		बुजुर्ग		बच्चे		दिव्यांगजन	
			प्राप्त शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष समाधान / निस्तारित प्रकरणों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष समाधान / निस्तारित प्रकरणों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष समाधान / निस्तारित प्रकरणों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष समाधान / निस्तारित प्रकरणों की संख्या
1.										

1.3.5 जिलाधिकारी/पुलिस कमिश्नर/पुलिस अधीक्षकों द्वारा जनपदों में Good Samaritan की पहचान एवं बेहतर कार्य करने वाले स्वयंसेवियों को प्रमाण पत्र वितरित किये जाने सम्बन्धी योजना की मासिक समीक्षा की जानी है । अतः, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मासिक समीक्षा करते हुए कार्य की प्रगति निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायी जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह/वर्ष	**Good Samaritan** की पहचान एवं बेहतर कार्य करने वाले स्वयंसेवियों को वितरित प्रमाण पत्र संख्या			
			महिला	बुजुर्ग	बच्चे	दिव्यांगजन
1.						

1.3.6 आशा ज्योति केन्द्र/वन स्टाप सेन्टर की क्षमता का विस्तार किये जाने सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा अवगत कराया गया कि किसी भी जनपद में आशा ज्योति केन्द्र/वन स्टाप सेन्टर की क्षमता के विस्तार की आवश्यकता नहीं पायी गयी है तथा इस योजना को विलोपित कराने का अनुरोध किया गया । इस प्रकार इस योजना को पूर्ण मानते हुए अग्रतर कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत इसे विलोपित माना गया ।

1.3.7 प्रत्येक कार्पोरेट/प्राइवेट एवं सरकारी विभागों की वेव साइट पर **POSH** कमेटी का उल्लेख किये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय के स्तर से शासनादेश जारी करा दिया गया है । विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों/जिलाधिकारियों/पुलिस कमिश्नरों/पुलिस अधीक्षकों द्वारा इस योजना को धरातल पर इम्प्लीमेन्ट कराया जाना है, जिसकी मासिक समीक्षा की जानी है । अतः, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मासिक समीक्षा करते हुए कार्य की प्रगति निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायी जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह	कार्पोरेट/प्राइवेट एवं सरकारी विभागों की वेव साइट पर **POSH** कमेटी का उल्लेख किये जाने का विवरण			
			कैटेगरी	कुल संख्या	कितने विभागों में कार्यवाही पूर्ण	अवशेष कार्यवाही पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1			सरकारी विभाग			
			कार्पोरेट			

			प्राइवेट			

1.3.8 अवगत कराया गया कि सेफ सिटी हेतु सतत वर्कशाप आयोजित किये जाने हेतु जनपदों के जिला प्रोबेशन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं । मुख्य सचिव महोदय द्वारा संचालित कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा किये जाने एवं निम्नानुसार प्रगति से उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह/वर्ष	आयोजित किये गये वर्कशाप/कार्यशाला की संख्या	वर्कशाप/कार्यशाला में प्रतिभागियों की संख्या	वर्कशाप/कार्यशाला में फोकस प्रमुख बिन्दु
1					

(कार्यवाही – महिला एवं बाल विकास विभाग)

1.4 सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु **सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग** द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गए-

1.4.1 आमजन में जागरूकता हेतु सोशल मीडिया पर सेफ सिटी यूपी पेज क्रिएट कर लिया गया है ।

1.4.2 एफ0एम0 जिंगल्स, कम्यूनिटी रेडियो आदि माध्यम से जागरूकता फैलाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्केटिंग के साथ संवेदीकरण कार्यक्रम तथा प्रभावशाली व्यक्तियों तथा सुरक्षा एवं अधिकारिता को फोकस करते हुए विज्ञापन जारी कराये जाने हेतु डब्लू0 सी0 एस0 ओ0 द्वारा 06 माह का कार्यक्रम तैयार कर सूचना विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है ।

1.4.3 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा इन कार्यों हेतु रू0 20.17 करोड़ के बजट का प्रस्ताव विशेष सचिव, सूचना अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है । सूचना विभाग को निर्देशित किया गया कि वे इस योजना के क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए निम्नानुसार मासिक प्रगति से अवगत करायें-

क्र0	नगर निगम का नाम	वर्ष	माह	योजना के अनुरूप जागरूकता अभियान की संख्या/विवरण
1.				

1.4.4 दिनांकः 24.07.2023 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत पाक्षिक समीक्षा बैठक में प्रत्येक सेफ सिटी के प्रवेश द्वार पर आम लोगों को सहज दृश्य ''सेफ सिटी नगर'' का आभास कराने वाले बोर्ड लगवाने एवं इस हेतु नगर विकास विभाग द्वारा सूचना विभाग को कन्टेन्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे । सूचना विभाग को निर्देशित किया गया कि वे इस योजना के क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए निम्नानुसार मासिक प्रगति से अवगत करायें-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह/वर्ष	कुल कितने बोर्ड लगवाये जाने का टार्गेट है	कितने बोर्ड लगवा लिये गये हैं	अवशेष कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1.					

(कार्यवाही – सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)

1.5 सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु **दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गए-

1.5.1 ब्रेल लिपि में जनसूचना, दिव्यांगजन हेतु जेब्रा क्रासिंग आदि पर साइनेज व दिव्यांगजनों के निर्बाध आवागमन हेतु जन संस्थानों में रैम्प का व्यवस्थापन किये जाने की योजना हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं, जिसमें इस योजना में सम्मिलित तीनों विभागों (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पी0 डब्लू0 डी0 और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) द्वारा किये जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया गया है।

1.5.2 इस योजना के अन्तर्गत जेब्रा क्रासिंग आदि पर साइनेज व दिव्यांगजनों के निर्बाध आवागमन हेतु जन संस्थानों में रैम्प आदि की व्यवस्था पी0 डब्लू0 डी0 व चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही है। इन व्यवस्थाओं को और सुनियोजित व लाभकारी बनाये जाने के सम्बन्ध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कतिपय सुझाव दिये गये। मुख्य सचिव महोदय द्वारा इन बिन्दुओं पर पृथक से व्यापक विचार-विमर्श किये जाने के निर्देश दिये गए।

1.5.3 लोक निर्माण विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 153 स्थानों पर जेब्रा-क्रासिंग पर साइनेज लगाया जाना निर्णित किया गया है। अब तक 42 स्थानों के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है, जिनमें से 05 स्थानों पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। निर्देशित किया गया कि निम्न प्रारूप में कार्य की मासिक प्रगति उपलब्ध करायी जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह/वर्ष	कुल कितने स्थानों पर जेब्रा-क्रासिंग पर साइनेज लगाये जाने का टार्गेट है	कितने स्थानों पर कार्य पूर्ण हो गया हैं।	अवशेष कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1					

1.5.4 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कि दिव्यांगजन हेतु अस्पतालों में कुल 55 रैम्प की आवश्यकता पायी गयी थी। 51 जगह पहले से ही रैम्प की व्यवस्था कर ली गयी थी, अवशेष 04 स्थानों पर रैम्प बनवा दिया गया है। निर्देशित किया गया कि निम्न प्रारूप में कार्य की प्रगति जनपदवार उपलब्ध करायी जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह/वर्ष	कुल कितने स्थानों पर रैम्प बनवाये जाने का टार्गेट है	कितने स्थानों पर कार्य पूर्ण हो गया हैं।	अवशेष कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1					

(कार्यवाही -- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग / लोक निर्माण विभाग / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

1.6 सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु **माध्यमिक शिक्षा विभाग** द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गए-

1.6.1 स्कूल एवं कालेज के स्टूडेन्ट हेतु काउन्सलिंग सिस्टम को प्रोफेशनल्स की सहायता से बेहतर किये जाने की योजना के लिए जनपदों के राजकीय हाई स्कूल/इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यों को अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की समस्याओं की काउन्सिलिंग के लिए मनोविज्ञानशाला प्रयागराज/मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों से परामर्श प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं । निर्देशित किया गया कि इस प्रयास से छात्र/छात्राओं को हो रहे लाभ के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप में जनपदवार मासिक सूचनाएं उपलब्ध करायी जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह/वर्ष	कुल कितने छात्र/छात्राओं की समस्याओं के निराकरण हेतु काउन्सिलिंग की गयी		परिणाम
			बालक	बालिका	
1					
2					

1.6.2 अवगत कराया गया कि आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना के लिए उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है । निर्देशित किया गया कि कार्ययोजना शीघ्र तैयार कर मासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाए, जिसकी जनपदवार मासिक प्रगति निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायी जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह/वर्ष	कुल कितने छात्र/छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया		प्रशिक्षण की अवधि
			बालक	बालिका	
1					

1.6.3 स्मार्ट क्लासेज के निर्माण सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्रदेश में कक्षा-9 से 12 तक के मान्यता प्राप्त राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन कुल 28,826 विद्यालयों के सापेक्ष 4521 में स्मार्ट क्लासेज निर्मित तथा 2684 में निर्माणाधीन हैं । 21,621 स्मार्ट क्लासेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । निर्देशित किया गया कि योजना के क्रियान्वयन की जनपदवार मासिक प्रगति निम्न प्रारूप उपलब्ध करायी जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह/वर्ष	स्मार्ट क्लासेज का संख्यात्मक विवरण			अवशेष कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
			कैटेगरी	विद्यालयों की कुल संख्या	कितने विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बन गये हैं	
1			मान्यता प्राप्त राजकीय			

			विद्यालय			
			सहायता प्राप्त विद्यालय			
			वित्त विहीन विद्यालय			

1.6.4 स्काउट एवं गाईड की सहायता लिये जाने सम्बन्धी योजना के लिए उ0प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड से समन्वय करते हुए कार्ययोजना तैयार की गयी है। निर्देशित किया गया कि कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जाए तथा जनपदवार मासिक प्रगति से अवगत कराया जाए।

1.6.5 स्काउट एवं गाईड की सहायता लिये जाने सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि एन0सी0सी0 निदेशालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। इस परियोजना हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने के लिए एन0सी0सी0 निदेशालय को भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें समय लगेगा। इस प्रकरण में शासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जा रही है। शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा सकेगा। निर्देशित किया गया कि समुचित समन्वय करते हुए कार्यवाही तत्परता से पूर्ण की जाए।

1.6.6 अवगत कराया गया कि सामाजिक विज्ञान के छात्रों हेतु प्रोजेक्ट सम्बन्धी योजना के क्रियान्वयन हेतु विषयवस्तु तैयार कर अनुमोदित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने में 01 माह का समय लगना सम्भावित है। निर्देशित किया गया कि कार्यवाही तत्परता से पूर्ण की जाए।

1.6.7 विचार-विमर्श में यह संज्ञान में लाया गया कि कई कोचिंग क्लासेज काफी कन्जेस्टेड जगहों पर संचालित की जा रही हैं, जो छात्रों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। साथ ही ऐसी जगहों पर आग लगने की स्थिति जान-माल के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। निर्देशित किया गया कि ऐसे कोचिंग क्लासेज को चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा कोचिंग क्लासेज हेतु विस्तृत गाइडलाईन जारी की जाए।

1.6.8 बालिकाओं की कोचिंग क्लासेज को किसी भी दशा में देर रात तक संचालित न किये जाने के निर्देश दिये गये। कोचिंग संस्थानों द्वारा कोचिंग के प्रवेश व निकास द्वारों पर सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। नगर विकास विभाग द्वारा इन कैमरों को स्मार्ट सिटी के कण्ट्रोल रूम्स से इण्टीग्रेट किया जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग नगरवार कोचिंग संस्थाओं में कैमरे अधिष्ठापित कराये जाने का विवरण निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराया जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	कोचिंग संस्थानों की कुल संख्या	कितने कोचिंग संस्थानों के प्रवेश व निकास द्वारा पर कितने कैमरे लगे हैं		कितने कोचिंग संस्थानों के प्रवेश व निकास द्वारा पर कितने कैमरे नहीं लगे हैं	अवशेष कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
			संस्थानों की संख्या	अधिष्ठापित कैमरों की संख्या		
1						

(कार्यवाही – माध्यमिक शिक्षा विभाग)

1.7 सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु **उच्च शिक्षा विभाग** द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1.7.1 पिंक बूथ योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से एन0 सी0 सी0/एन.एस.एस./अन्य स्वयंसेवियों को सेफ सिटी स्वयंसेवी के रूप में चिन्हित किये जाने की कार्यवाही कर ली गयी है। दिनांकः 25.08.2023 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी आवश्यकता नहीं पायी गयी। अतः सम्प्रति इस योजना को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

1.8 सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु **न्याय विभाग** द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गए-

1.8.1 महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गो एवं दिव्यांगजन के लिए वैधानिक मदद एवं वैधानिक शिक्षा हेतु न्याय विभाग द्वारा विषयवस्तु तैयार करते हुए निरन्तर कार्यक्रम संचालित करने के लिए की जाने वाली एक्टीविटीज की सूची व कैलेण्डर तैयार कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वसम्बन्धित को न्याय विभाग द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं।

1.8.2 इस योजना के अन्तर्गत न्याय विभाग द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपदीय पुलिस के माध्यम से किया जाना है, जिसकी मासिक समीक्षा भी की जानी है। अतएव, जनपदीय पुलिस के माध्यम से संचालित कराये जा रहे कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा न्याय विभाग द्वारा किया जाए तथा जनपदवार मासिक आख्या निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायी जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह	संचालित कार्यक्रमों का संख्यात्मक विवरण			
			कैटेगरी	कुल संचालित कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम के विषय
1			महिलाओं के लिए			
			बच्चों के लिए			
			बुजुर्गों के लिए			
			दिव्यांगजनों के लिए			

(कार्यवाही – न्याय विभाग)

1.9 सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु **पुलिस विभाग/कानून एवं व्यवस्था/यूपी-112** द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गए-

1.9.1 पुलिस/पब्लिक द्वारा लगाये गये सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरों के सम्बन्ध में डेटा संग्रहण का कार्य किया

गया है । कैमरों के इण्टीग्रेशन हेतु पुलिस विभाग द्वारा कुल 18,924 कैमरों की पहचान करते हुए नगर विकास विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है । यदि इस संख्या में बढ़ोत्तरी हो तो तदनुसार सर्वसम्बन्धित को सूचना उपलब्ध करायी जाए ।

1.9.2 प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु अंधेरे स्थानों की पहचान पुलिस विभाग द्वारा की गयी है । स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु पुलिस विभाग द्वारा 2098 स्थान चिन्हित करते हुए नगर विकास विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है । यदि इस संख्या में बढ़ोत्तरी हो तो तदनुसार सर्वसम्बन्धित को सूचना उपलब्ध करायी जाए ।

1.9.3 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी/गार्ड्स के प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना के लिए पुलिस विभाग द्वारा विवरण एकत्र कर लिया गया है । 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में कुल 712 पंजीकृत एजेन्सियाँ हैं । पुलिस विभाग द्वारा प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी/गार्ड को प्रशिक्षित किये जाने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं एस.ओ.पी. तैयार कर ली गयी है, जिस पर शासन स्तर से अनुमोदन अपेक्षित है । इन एजेन्सीज द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों के प्रोत्साहन के लिए पुलिस विभाग द्वारा गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं । अब तक 220 एजेन्सीज हेतु गोष्ठी आयोजित की गयी है । निर्देशित किया गया कि इस योजना के क्रियान्वयन की मासिक समीक्षा की जानी है । अतः, गृह विभाग द्वारा मासिक समीक्षा करते हुए निम्न प्रारूप में सूचना उपलब्ध करायी जाए-

क्र0	नगर निगम का नाम	माह	कितने सिक्यूरिटी गार्डस को प्रशिक्षण प्रदान किया गया	अच्छे कार्यों के प्रोत्साहन के लिए आयोजित गोष्ठियों का विवरण			
				गोष्ठियों की संख्या	प्रतिभागी एजेन्सीज की संख्या	प्रतिभागी व्यक्तियों की संख्या	कितने सिक्यूरिटी गार्डस को पुरस्कृत किया गया
1.							

1.9.4 सिटी बसों, ओला एवं ऊबर आदि में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन लगाते हुए यूपी-112 से इण्टीग्रेट किये जाने की योजना का क्रियान्वयन परिवहन विभाग द्वारा किया जाना है, जिसके अन्तर्गत यूपी-112 का परिवहन विभाग के साथ समन्वय किया जाना है ।

1.9.5 ''ऊबर'' फर्म के साथ इण्टीग्रेशन हेतु टेस्टिंग की जा रही है। ''ओला'' फर्म के साथ भी वार्ता की जा रही है ।

1.9.6 संवेदनशील स्थानों जैसे- कोर्ट, जेल, वाइन शाप, गर्ल्स कालेज एवं पार्क आदि हॉट-स्पॉट की पहचान करते हुए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाये जाने की योजना है । यूपी-112 द्वारा कुल 1861 हॉट-स्पॉट चिन्हित करते हुए 656 पी0 आर 0 वी0 का डिप्लायमेन्ट कर ऐसे स्थानों पर पैट्रोलिंग बढ़ायी गयी है । यदि इस संख्या में बढ़ोत्तरी हो तो तदनुसार सर्वसम्बन्धित को सूचना उपलब्ध करायी जाए ।

1.9.7 बीट आरक्षिओं द्वारा बुजुर्गो से मिलना एवं उनकी मदद करने सम्बन्धी योजना के लिए यूपी-112 द्वारा सवेरा स्कीम की एस 0 ओ 0 पी0 तैयार कर ली गयी है । बीट आरक्षियों द्वारा द्वितीयक पंजीकरण कराये जाने हेतु आदेश निर्गत करते हुए अब तक 3,63,000 पंजीकरण किये जा चुके हैं । प्रत्येक बीट आरक्षी को प्रतिदिन

कम से कम 01 बुर्जुग से सम्पर्क किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । निर्देशित किया गया कि इस कार्य की समीक्षा सतत की जाए तथा जनपदवार मासिक आख्या उपलब्ध करायी जाए ।

1.9.8 एफ0 एम0 जिंगल्स, कम्यूनिटी रेडियो आदि माध्यम से जागरूकता फैलाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्केटिंग के साथ संवेदीकरण कार्यक्रम तथा प्रभावशाली व्यक्तियों तथा सुरक्षा एवं अधिकारिता को फोकस करते हुए विज्ञापन जारी कराये जाने हेतु डब्लू0 सी0 एस0 ओ0 द्वारा 06 माह का कार्यक्रम तैयार कर सूचना विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है । प्रचार-प्रसार सम्बन्धी कार्य सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जाना है । उनको उपलब्ध कराये गये 06 माह के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0 प्र0 के पत्र दिनांकः 22.08.2023 द्वारा प्रचार-प्रसार के कार्यों हेतु रू0- 20.17 करोड़ के बजट की आवश्यकता का प्रस्ताव विशेष सचिव, सूचना अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है ।

1.9.9 अवगत कराया गया कि 20 धार्मिक स्थलों पर सिंगल स्टोरी पिंक बूथ के निर्माण हेतु रू0- 1.66 करोड़ का प्रस्ताव गृह विभाग को प्रेषित किया गया है । शासन द्वारा की गयी अपेक्षानुसार सम्बन्धित जनपदों में बूथ निर्माण हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता ज्ञात की जा रही है ।

1.9.10 अवगत कराया गया कि 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर के लिए 1100 जी0 पी0 एस0 युक्त पिंक स्कूटी (ई0 वी0) की व्यवस्था का प्रस्ताव डब्लू0 सी0 एस0 ओ0 द्वारा पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया गया है । शासन द्वारा जेम पोर्टल पर उपलब्ध ई0 वी0 स्कूटी का मेक मॉडल इंगित करते हुए व्ययभार सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा पुलिस मुख्यालय से की गयी है । तदनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा लॉजिस्टिक्स कार्यालय से विवरण प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जा रही है ।

निर्देश दिये गए कि उपरोक्त कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाएं ।

(कार्यवाही – सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग / पुलिस महानिदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था / यूपी-112 / महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0 प्र0 लखनऊ)

2. मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आज की बैठक में प्रस्तुत प्रगति के परिप्रेक्ष्य में हुए विचारण व प्रदत्त निर्देश के अनुसार सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सभी सम्बन्धित विभाग अपना टार्गेट व प्रगति निर्धारित प्रारूप में 02 दिवस के अन्दर उपलब्ध करा दें । सभी सम्बन्धित विभाग परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु पूर्ण मनोयोग एवं तत्परता से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।

3. परियोजना की अगली समीक्षा 15 दिन बाद की जाएगी । अतः, सभी विभाग प्रगति आख्या समय से निर्धारित प्रारूप में सर्वसम्बन्धित के साथ अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन को अवश्य उपलब्ध कराते रहें ।

आज की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही कराये जाने के निर्देश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

Signed by डॉ संजीव गुप्ता
Date: 04-09-2023 20:32:36
Reason: Approved

(डॉ0 संजीव गुप्ता)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-15
संख्या-1105 / 6-पु-15/2023
लखनऊः दिनांक- 05 सितम्बर, 2023

उपर्युक्त कार्यवृत्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, लोक निर्माण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, न्याय एवं समाज कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण, प्राविधिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा एवं आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी-112, कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।

(डॉ0 संजीव गुप्ता)
सचिव।